कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक– 898/ पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 / दिनांक 28/09 /2017

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना, भन्साड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.64 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/9709/2015**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक सं0 799/12–1, दिनांक 26.09.2017 एवं कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक संख्या 765/12–1(1) दिनांक, देहरादून 26.09.2017।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से इस खण्ड के अन्तर्गत स्यालना से भंसाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है, जिसकी आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1-	नोडल अधिकारी द्वारा इंगित कवैरी बिन्दु सं0 3 व 4 का अपूर्ण निराकरण किया गया है। अभी भी पार्ट–1 के बिन्दु सं0 L(iv)(g) में एम0ओ0क्यू0 के स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। अतः संगत प्रमाण प. अपलोड किया जाय।	ऑनलाईप पार्ट–1 के बिन्दु सं0 L(iv)(g) में एम0ओ0क्यू0 के स्थान पर संशोधित कर संगत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है तथा हार्ड प्रति भी इस पत्र के माध्यम से संलग्न कर भेजी जा रही है।
2-	रीजनल ऑफिस की क्वैरी में हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष दो गुना क्षतिपूरक भूमि का उल्लेख किया गया है। 3.64 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने का औचित्य स्पष्ट कर आख्या में उल्लेख किया जाय।	इस खण्ड द्वारा इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दी जाने वाली 3.64 है0 वनभूमि के स्थान दोगुनी 7.28 है0 सिविल सोयम भूमि राजस्व विभाग से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मांग की गई थी किन्तु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा निर्गत आदेश सं0 2085/11–9 (2014–15) दिनांक 23 मार्च 2015 में उल्लिखित उत्तराखण्ड सरकार के शा0दे0सं0 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 के निर्देशानुसार, जिसमें कहा गया है कि "वनभूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी ही भूमि दी जानी है, जितनी वनभूमि योजनाओं के लिये प्राप्त की जावेगी"। अतः जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु केवल 3.64 है0 भूमि ही प्रदान की गई है, जिस कारण इस खण्डीय कार्यालय द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव तैयार किया गया है एवं आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु जिलाधिकारी का आदेश एवं संगत शा0दे0 की छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3-	नोडल अधिकारी द्वारा इंगित बिन्दु 6 का अपूर्ण निराकरण किया गया है। पार्ट–1 व 2 में अपलोड क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना में अभी भी भन्साडी सोयम 7.280 है0 दर्शाया गया है। जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्यालना 3.64 है0 में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। त्रुटि का निराकरण सुनिश्चित किया जाय।	ऑनलाईन पार्ट–1 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना में सभी आवश्यक संशोधन कर पुनः अपलोड कर दिये गये हैं, जिसकी हार्ड प्रति भी संलग्न की जा रही है तथा पार्ट–2 में आवश्यक संशोधन आपके स्तर से किया जाना है।

4-	नोडल अधिकारी द्वारा इंगित बिन्दु सं0 7 के अनुसार निराकरण नही किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या में मक डिस्पोजल नापभूमि में किये जाना सूचित है जबकि यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट–1 के Additional Information Details क्र0सं0 4 में वन तथा सिविल सायेम भूमि का मक डिस्पोजल प्लान बनाकर अपलोड किया जाय।	चूकिं इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मलवा निस्तारण (मक डिस्पोजल) कास्तकारों की नापभूमि में किया जाना है, जिसका संशोधित प्लान तैयार कर Additional Information Details में अपलोड कर दिया गया है एवं ग्रामीणों की सहमति/एन0ओ0सी0 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।
5-	उपरोक्त के अतिरिक्त नोडल अधिकारी के निर्देशों के अनुसार अपलोड किये गये अभिलेखों को पार्ट–1 व पार्ट–2 के किस स्थान पर अपलोड किया गया है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय।	ऑनलाईन पार्ट–1 में सभी आवश्यक अभिलेख संशोधित प्रपत्र यथास्थान अपलोड कर उपरोक्तानुसार स्पष्ट बिन्दुवार आख्या इस पत्र के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम – प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज–7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि खरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतू चिन्हित भूमी खसरा संख्या 6324कुल रकवा 3.64 हे0 उत्तराखण्ड 9(3)ड. में दर्ज़ है तथा यह भूमि राजस्व विभाग बड़कोट के स्वामित्व में है । एवं इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं है ।

तहसीलदार
बड़कोट

उपजिलाधिकारी
बडकोट

21.3.
(राजीव चन्द्र रमोला)

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला ने अपने पत्रांक संख्या 114/पी.एम.जी.एस.वाई. दिनांक 20.02.2015 के द्वारा खरादी से स्यालना भंसाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.640 है0 भूमि एवं पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि के बदले दुगुने सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, बड़कोट ने अपने पत्र संख्या मेमो/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2011-12 दिनांक 02 मार्च, 2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि खरादी से स्यालना-भन्साड़ी मोटर मार्ग हेतु ग्राम स्यालना की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1421 से 1426 के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 6324 म. 6.076, 6557 म. 1.204 है0 कुल 7.280 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-9 (3)ड. की प्रस्तावित की गयी जिसका नक्शा-खसरा एवं उद्धरण खतौनी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी ।

उक्त के अतिरिक्त पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बडोगी की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1419 से 1424 के खाता संख्या 16 के खसरा संख्या 4741म. 0.850 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. की प्रस्तावित की गयी तथा प्रसतावित भूमि का नक्शा-खसरा एवं उद्धरण खतौनी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि **शासनादेश संख्या 397/XVIII (II)/2012** दिनांक 29 फरवरी, 2012 के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वंन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनोश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

582

R.K.

अनुपालन सुनिश्चित

तहसीलदार बड़कोट

30/03/15

उप जिलाधिकारी, बड़कोट से प्राप्त आख्या खरादी से स्यालना-भन्साड़ी मोटर मार्ग हेतु ग्राम स्यालना की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1421 से 1426 के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या **6324 म. 3.640 है0** भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-9 (3)ड. की एवं पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बडोगी की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1419 से 1424 के खाता संख्या 16 के खसरा संख्या **4741 म. 1.925 है0** भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. की भूमि को वन अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की जाती है ।

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2085/ग्यारह-9 (2014-15) दिनांक 23 मार्च, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट।

2- तहसीलदार, बड़कोट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त भूमि का नियमानुसार म्यूटेशन की कार्यवाही करवाते हुये तद्नुसार इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, बड़कोट।

4- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

5- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

संख्या-397/XVIII(II)/2012

प्रेषक,

पी.सी.शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 आयुक्त,
गढवाल एवं कुमाऊ मण्डल।
3 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व विभाग

देहरादून, दिनांक 29 फरवरी, 2012

विषय :- वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 20,000 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2882/XVIII(II)/11-18(120)2010, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह उल्लेख किया गया है कि "वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में अब उतनी ही भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि, योजनाओं के लिए प्राप्त की जाएगी। भूमि हस्तांतरण की आवश्यकता जिस प्रकार होगी, उसी के अनुरूप समय-समय पर वन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी"। शासन स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद कई मामलों में सैद्वान्तिक तथा अंतिम स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त कई योजनाओं के वन भूमि हस्तांतरण इस बीच भारत सरकार को भैजे जा चुके है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त अथवा उसे भेजे गये इन प्रस्तावों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसी योजनाओं की अनुमानित संख्या 140 है जिनमें एन.पी.वी. आदि भी जमा की जा चुकी है। अब यदि इन प्रस्तावों में कोई परिवर्तन होता है तो उससे इन योजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

अतः ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्वान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी

अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके।

वर्तमान में तैयार की जा रही योजनाओं में गैर जमीदारी विनाश भूमि में से गैर वन भूमि में यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित है तो उसके लिए समतुल्य भूमि ही प्रस्तावित की जाएगी।

उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुरूप कृपया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए धनराशि तत्काल उपलब्ध कराते हुए ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रस्ताव वन विभाग को समयबद्ध आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ0प0सं0- 397 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तांतरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव